न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 141/2023

अनवान :

राजेश कुमार पुत्र झिण्डुराम जाति जाट निवासी रामवास तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. झिण्डुराम उर्फ झण्डुराम पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी रामवास तहसील भादरा।
2. सुमन पुत्री झिण्डुराम जाति जाट निवासी रामवास तहसील भादरा।
3. मन्जु पुत्री झिण्डुराम जाति जाट निवासी रामवास तहसील भादरा।
4. मोनिका पुत्री झिण्डुराम जाति जाट निवासी रामवास तहसील भादरा।
5. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरा जरिऐ शाखा प्रवंधक भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेश बैनीवाल : **वादी**

वकील श्री अर्जुन बैनीवाल : **प्रतिवादी 1 ता 4**

निर्णय **दिनांक :** 23.08.23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा रामबास के खाता सं0 35/67 के खसरा सं0 318 की 5.186है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 झण्डुराम के नाम 1/3 हिस्सा, खाता सं0 36/68 के ख0सं0 331 की 2.998 है0, खसरा सं0 371 की 0.6200है0 कुल खसरा 2 की 3.618है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 झण्डुराम के नाम 1/3 हिस्सा, खाता सं0 37/6 के खसरा सं0 256 की 2.3780है0, खसरा सं0 258 की 2.9600है0, खसरा सं0 299 की 1.7080है0 कुल किता 3 की 7.0460है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 झण्डुराम के नाम 1/6 हिस्सा, खाता सं0 154/148 के खसरा सं0 256/399 की 0.5190है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 झण्डुराम के नाम 1/8 हिस्सा, रोही मौजा पालड़ी के खाता सं0 54/43 के खसरा सं0 104 की 3.163है0, खसरा सं0 105 की 2.9600है0, खसरा सं0 81 की 0.1140है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 झिण्डुराम के नाम 521/6237 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। यही विनाय दावा है।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पुश्तैनी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 5 व 6 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Scanned with CamScanner

साक्ष्य वादी में राजेश कुमार पुत्र झिण्डुराम जाति जाट निवासी रामबारा तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी ग्राम रामबास संवत 2073–76 खाता संख्या 35/67 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मौजा रामबास खाता सं0 36/68 सम्वत 2073–76 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही मौजा रामबास खाता सं0 37/6 सम्वत 2073–76 प्रदर्श 3, जमाबंदी रोही मौजा रामबास खाता सं0 154/148 सम्वत 2073–76 प्रदर्श 4, जमाबंदी रोही मौजा पालड़ी खाता सं0 54/43 सम्वत 2076–76 प्रदर्श 5, पैतृक जमाबंदी ग्राम रामबारा संवत् 2029–38 प्रदर्श 6, पैतृक जमाबंदी ग्राम रामबास संवत् 2029–38 प्रदर्श 6 पैतृक जमाबंदी ग्राम रामबास संवत् 2029–38 प्रदर्श 7, पैतृक जमाबंदी ग्राम रामबास संवत् 2029–38 प्रदर्श 8, पैतृक जमाबंदी ग्राम पालड़ी संवत् 2032–35 प्रदर्श 9, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत किराड़ाबड़ा प्रदर्श 10 प्रदर्शित करवाये गये। बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एव प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम रामबास व पालड़ी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 10 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 10 में झिण्डुराम के एक पुत्र राजेश कुमार तथा तीन पुत्रीया सुमन, मन्जू व मोनिका के अलावा सदस्य प्रमाण पत्र में अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा रामबास के खाता सं0 35/67 के खसरा सं0 318 की 5.186है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 झण्डुराम के नाम 1/3 हिस्सा, खाता सं0 36/68 के ख0सं0 331 की 2.998 है0, खसरा सं0 371 की 0.6200है0 कुल खसरा 2 की 3.618है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 झण्डुराम के नाम 1/3 हिस्सा, खाता सं0 37/6 के खसरा सं0 256 की 2.3780है0, खसरा सं0 258 की 2.9600है0, खसरा सं0 299 की 1.7080है0 कुल किता 3 की 7.0460है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 झण्डुराम के नाम 1/6 हिस्सा, खाता सं0 154/148 के खसरा सं0 256/399 की 0.5190है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 झण्डुराम के नाम 1/8 हिस्सा, रोही मौजा पालड़ी के खाता सं0 54/43 के खसरा सं0 104 की 3.163है0, खसरा सं0 105 की 2.9600है0, खसरा सं0 81 की 0.1140है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 झिण्डुराम के नाम 521/6237 हिस्सा खातेदारी दर्ज वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 झिण्डुराम का नाम कलमजन कर वादी राजेश कुमार व प्रतिवादी सं0 1 झिण्डुराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रामबास के खाता सं0 35/67 के खसरा सं0 318 की 5.186है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 झण्डुराम के नाम 1/3 हिस्सा, खाता सं0 36/68 के ख0सं0 331 की 2.998 है0, खसरा सं0 371 की 0.6200है0 कुल खसरा 2 की 3.618है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 झण्डुराम के नाम 1/3 हिस्सा, खाता सं0 37/6 के खसरा सं0 256 की 2.3780है0, खसरा सं0 258 की 2.9600है0, खसरा सं0 299 की 1.7080है0

Scanned with CamScanner

राजेश कुमार बनाम झिण्डुराम उर्फ झण्डुराम आदि

कुल किता 3 की 7.0460है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 झण्डुराम के नाम 1/6 हिस्सा, खाता सं0 154/148 के खसरा सं0 256/399 की 0.5190है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 झण्डुराम के नाम 1/8 हिस्सा, रोही मौजा पालड़ी के खाता सं0 54/43 के खसरा सं0 104 की 3.163है0, खसरा सं0 105 की 2.9600है0, खसरा सं0 81 की 0.1140है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 झिण्डुराम के नाम 521/6237 हिस्सा खातेदारी दर्ज वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 झिण्डुराम का नाम कलमजन कर वादी राजेश कुमार व प्रतिवादी सं0 1 झिण्डुराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किए जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.08.23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

संशोधन नोट :-
21.12.23

उक्त निर्णय दिनांक 28.08.23 में वर्णित वाद भूमि रोही मौजा रामलाम की खाता सं0 154/148 के खसरा सं0 256/399 की कुल 0.519 है0 बारानी गैरखातेदारी भूमि की प्रविष्टि है। झिण्डूराम के नाम यथावत रखते हुए शेष निर्णय को यथावत पढ़ा जावे।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा(हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner